मुन्नी

वादी वकील अनुपस्थित।

आज न्यायालय समय से मध्याह्न 2 तीन बार आवाजें दिलवायी और एवं अवकाश उठने से पूर्व एक बार पुनः आवाजें दिलवायी और के उपरांत भी वादीगण एवं उनके वकील में से किसी के भी उपस्थित नहीं होने से जाहिर होता है कि वे वाद में रुचि नहीं करना चाहते हैं। यदि रुचि रखते तो अवश्य ही उपस्थित रहते। लिहाजा वाद को ऐसी स्थिति में आगे चलाया जाना प्रतीत नहीं होता है।

अतः वाद इसी स्तर पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली डिस्पोज करार बाद दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:46:09 IST
Reason: SelfAttested